सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 11, शुक्रवार, शाके 1943–जुलाई 2, 2021
Asadha 11, Friday, Saka 1943- July 2, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 08, 2021

सख्या 07/भू.अ./ज.सं./2021/3133-3136: चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर बांध परियोजना की बांयी मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी. से 9.50 किमी. एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सब माईनर न01 के क्षेंत्र में आये ग्राम भेरूपुरा बोटून्दा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक की शेष रही (खसरा न01317 की 0.17 हैक्टेयर) भूमि की अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि सूची में वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेंत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेंत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली जिला-टोंक को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण

बीसलपुर बांध परियोजना की बायीं मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी, चैनपुरा माईनर एवं चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के क्षेत्र मे आये ग्राम भेरुपुरा बोटून्दा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक की शेष रही जमीन की धारा-11-12 की सूची।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खाता नंबर	खसरा नंबर	अवाप्त रकबा (है०)	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	जगदीश पुत्र बिरधा जाती मीणा	54	1317	0.02 0.03 0.12	माल-। माल-। माल-।	खसरा नंबर 1317 की कुल भूमि 0.29 हैक्टयर मे से बीसलपुर बांध की बायीं मुख्य नहर की आर.डी.

						4.50 किमी से 9.50 किमी के अन्तर्गत अधिगृहत 0.02 हैक्टयर भूमि की धारा-4 दिनांक 27.04.2001 व धारा-6 दिनांक 05.10.2001 को तथा चैनपुरा माईनर एवं चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के लिए अधिगृहत भूमि क्रमशः 0.03 हैक्टयर एवं 0.12 हैक्टयर भूमि की धारा-4 दिनांक 08.08.2003 एवं धारा-6 दिनांक 24.02.2004 को हुई थी परंतु तहसीलदार टोडारायसिंह की रिपोर्ट के तहत राज्यहित प्रभावित होना बताया गया। इस कारण से सहायक कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा पत्रावली ड्रॉप कर दी गयी थी , जिससे मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका, तत्पश्चात् न्यायालय उपखंड अधिकारी, टोडारायसिंह टोंक के आदेशानुसार वाद मिसिल नं. 211/2008 निर्णय दिनांक 10.10.2011 के अनुसार इस खसरा नंबर 1317 की समस्त भूमि 0.29 है० पर राज्यहित प्रभावित होना नहीं माना गया। संबन्धित काश्तकार द्वारा माननीय न्यायालय की प्रति पेश करते हुए वर्तमान मे , पूर्व मे नहर में अवाप्त की गयी भूमि के मुआवजा भुगतान की मांग की गयी है, इस खसरे के संबंध मे तहसीलदार टोडारायसिंह के पत्रांक 7061 दिनांक 09.12.2020 की रिपोर्ट के तहत राज्यहित प्रभावित नहीं होना बताया गया। इसके

						फलस्वरूप मुआवजा भुगतान हेतु धारा 11-12 की कार्यवाही प्रस्तावित है।
	योग		1	0.17		

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।